



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में वादिया की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित करने के आरोपी सुखवीर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष 07 माह का कठोर कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त सुखवीर पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मोड़ा करीमपुर थाना छतरी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वादिया की पुत्री का अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 726/2020 धारा 363/376/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुखवीर को दोषी पाते हुए 05 वर्ष 07 माह के कठोर कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखवीर को धारा 376/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



श्री नरेन्द्र पंवार
विशेष लोक अभियोजक



है0का0 रवींद्र कुमार
कोर्ट पैराकार



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी हेम्पी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 04 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त हेम्पी पुत्र विजय कुमार निवासी ब्रह्म कॉलोनी सोनीपत हरियाणा द्वारा 350 ग्राम चरस की तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 500/2016 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त हेम्पी को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



श्री दीपक कुमार एडीजीसी जनपद
बागपत



मुख्य आरक्षी धर्मवीर कोर्ट
पैराकार थाना कोतवाली बागपत



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में छेडछाड की घटना कारित करने के आरोपी शाहरुख व आदिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई 01 वर्ष के साधारण कारावास व 2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त 1-शाहरुख पुत्र नबाव, 2-आदिल पुत्र आरिफ निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वादिया व उसकी बहन के साथ छेडछाड करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 159/20 धारा 354/504 भादवि व 11/12 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5a) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज पंचम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शाहरुख व आदिल को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 01 वर्ष के साधारण कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



नरेन्द्र पंवार
विशेष लोक अभियोजक



है0का0 पंकज कुमार
कोर्ट पैराकार



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनांक 11.05.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलहों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे । यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज पुत्र राजेन्द्र उर्फ पप्पू निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 446 /13 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना भावनपुर जनपद मेरठ ।

2-मु0अ0सं0 52/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 617 भरत सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-का0 427 अरूण थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

